

# कार्यालय कलेक्टर (पंचायत) जिला कटनी (म.प्र.)

क्र०/ 215 /कोविड-19/जि.पं./2021

कटनी, दिनांक.....8/5/21...

## // आदेश //

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/2024/1291/2021/सत्रह/मेडि-2 भोपाल, दिनांक 06.05.2021 द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू का निर्णय लिया गया है।

आयुष्मान संबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारियों का एडमिशन एवं उपचार बिना किसी बाधा के सुगमतापूर्वक हो सके, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस हेतु जिले के प्रत्येक निजी अस्पताल हेतु निम्नानुसार पृथक-पृथक प्रभारी अधिकारी एवं VLE को नियुक्त किया जाता है:-


क्र०	आयुष्मान योजना से संबंध हास्पिटल का नाम	प्रभारी अधिकारी /सहयोगी का नाम, पदनाम, मो०नं०	आयुष्मान मित्र का नाम, मो०नं०	वी०एल०ई० का नाम / नम्बर
1	एम०जी०एम हॉस्पिटल	श्री कमल बर्मन, रा०नि० 9399900714	शैली, 9425322520	श्री राजेश चकवर्ती, 9691843314
		श्री प्रकाश गुप्ता, पटवारी 7000611190		
2	धर्मलोक हॉस्पिटल	श्री राजेन्द्र खम्परिया, रा०नि० 8120044263	शेखर तिवारी 9617176213	श्री शरद यादव, 7869526960
		श्री धर्मेन्द्र ताम्रकार, पटवारी 9993392750		
3	जी जी गुप्ता नर्सिंग होम	श्री हेमन्त अवधिया, रा०नि० 9425033943	प्रभात 8517887401	श्री आशीष श्रीवास, 7869892990
		श्री नितिन सोनी, पटवारी 9685998928		
4	डॉ० चाण्डक हॉस्पिटल	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, रा०नि० 7000187910	सौरभ, 8821918732	श्री सूर्यकांत श्रीवास, 8319962279
		श्री पंकज विश्वकर्मा, पटवारी 8770065966		
5	महालक्ष्मी हॉस्पिटल	श्री दिलीप त्रिसोलिया, रा०नि० 9424684404		श्री विपेन्द्र यादव, 7000404063
		श्री चंद्रशेखर कोरी, पटवारी 9685868300		
6	पुष्पांजलि नर्सिंग होम	श्री बृज बिहारी दुबे, रा०नि० 9893183643	पंकज 7974680293	श्री किशोरीलाल, 9131862539
		श्री राजेश दुबे, पटवारी 6260408876		

उक्तानुसार नियुक्त प्रभारी अधिकारी निम्नानुसार दायित्वों का निर्वहन करेंगे-

- 1- अस्पताल में पूर्व से भर्ती कोविड मरीज, जो कि आयुष्मान योजना के तहत पात्र हितग्राही है, उनकी सूची निर्धारित प्रारूप में तैयार करना। (प्रारूप संलग्न)
- 2- यह सुनिश्चित करना कि अस्पताल हेतु नियुक्त VLE पूर्ण समय अस्पताल में उपस्थित रहकर पात्र मरीजों का आयुष्मान कार्ड तत्काल बनाये।
- 3- प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आयुष्मान योजना के तहत पात्र मरीज को तत्काल भर्ती किया जाये। यदि किसी मरीज के पास स्वयं का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, किन्तु उसके परिवार के किसी सदस्य का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो ऐसे मरीज को अविलंब निम्न में से किसी एक दस्तावेज के प्रस्तुत करने पर भर्ती कराया जाना सुनिश्चित करें :-  
 (i) खाद्यान्न हेतु पात्रता पर्ची  
 (ii) समग्र आई.डी.  
 (iii) किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण कि मरीज आयुष्मान कार्ड .....(कार्ड धारक का नाम) के परिवार का सदस्य है।
- 4- जितने भी पात्र हितग्राही अस्पताल में कोविड के ईलाज हेतु भर्ती होते हैं, उनके आयुष्मान कार्ड 12 घंटे के भीतर VLE के माध्यम से बनवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 5- किसी भी प्रकार की समस्या अथवा जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के संपर्क में रहकर अवगत करायेंगे।
- 6- प्रभारी अधिकारी, प्रतिदिन की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को वाट्सएप (7722861131) पर सायं 7:30 बजे प्रेषित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

संलग्न :- निर्धारित प्रारूप

  
8/5/21

(जगदीश चंद्र गोमे)

अपर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत कटनी  
कटनी, दिनांक.....8/5/21.....

पृ0क्र0/ 2760 /कोविड-19/जि.पं./2021  
प्रतिलिपि:-

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाए सतपुडा भवन भोपाल म.प्र. ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत 'निरामयम' म.प्र. ।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ।
4. कलेक्टर, जिला कटनी ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कटनी ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त अनुभाग..... जिला कटनी ।
7. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला कटनी।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (सर्व).....।
9. संबंधित प्रभारी अधिकारी/सहयोगी.....जिला कटनी ।
10. संबंधित श्री .....जिला कटनी ।
11. समस्त निजी अस्पताल प्रबंधक जिला कटनी ।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
8/5/21

अपर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत कटनी